

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: F2(488)/DOIT&C/2025/

जयपुर, दिनांक:

कार्यालय आदेश

स्व. श्री विजय श्रीवास्तव (प्रोग्रामर), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर (राज), का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 23.06.2025 को निधन हो गया था। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना श्रीवास्तव (GEN) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उक्त पत्र/आवेदन पत्र जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर (राज), के पत्र क्रमांक: 2025/ESTT//OFFICE ORDERS/JAN-22/-00035-PART FILE (1)-6389958, दिनांक 24.07.2025 से इस विभाग को दिनांक 11.08.2025 को इस विभाग में प्राप्त हुआ। अतः श्रीमती वंदना श्रीवास्तव को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर (राज)**, में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed remuneration to probationer trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती वंदना श्रीवास्तव को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत Schedule IV (Rule No.16) **नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रुपये 14600/- प्रति माह की दर से देय होंगे**। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-5 (First cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी-1) 5200-20200 (ग्रेड पे न. 9) ग्रेड पे. 2400) का न्यूनतम वेतनमान 20800/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

श्रीमती वंदना श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** की अंकतालिका के क्रमांक सं. 165170 के अनुसार इनकी **जन्म तिथि 03.07.1985 (तीन जुलाई उन्नीस सौ पचासी)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला निर्धारित **स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र** राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी महिला चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक नियुक्ति दिनांक के बाद की होनी आवश्यक है, एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नहीं हो) प्रस्तुत करने होंगे।
3. श्रीमती वंदना श्रीवास्तव द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. परिवीक्षाकाल में अवकाश या अन्य सुविधाएं आदि राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rameshwar Lal Solanki
Designation: Joint Secretary
Date: 2025.10.15 10:08:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18295548
eSign 1.0



8. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न "प्रपत्र-ए" में शपथ पत्र राशि रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल ईस्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
9. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. श्रीमती वंदना श्रीवास्तव को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
14. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
15. श्रीमती वंदना श्रीवास्तव को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर (राज.)।
4. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. श्रीमती वंदना श्रीवास्तव धर्मपत्नी स्व. श्री विजय श्रीवास्तव (प्रोग्रामर), निवासी :- वाई नम्बर 35 नया, आरसीपी ताल कॉलोनी, नजदीक दुर्गा मंदिर सूरतगढ, सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर 325205 (राज.) (रजिस्टर्ड, ए.डी.), मो. 8561066690, ई-मेल: vandana2srivastava@gmail.com को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर (राज.) में उपस्थित प्रस्तुत करें।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

Signature valid

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005,

दूरभाष:- 0141-2923470, 0141-2923469,

वेबसाइट:- <http://www.doite.rajasthan.gov.in> ई-मेल:- oic.esa@rajasthan.gov.in

18295548

eSign 1.0

Digitally signed by Rameshwar Lal Solanki
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.10.15 10:08:02 IST
Reason: Approved